निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 82/2010 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये महेन्द्र सिंह नूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकर लाल रैगर पुत्र श्री घूणाराम, निवासी लाडा का बास, ग्राम पंचायत खेलना, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. श्री प्रहलाद यादव उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत फतेहपुरा खुर्द, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा नीला रंग केरोसीन तेल मय ड्रम व प्लास्टिक जरीकेन, एपीएल आटा तथा 1 पिक–अप गाडी को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 10-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.10.2010 को जिला रसद अधिकरी जयपुर ग्रामीण के निर्देशाानुसार बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ पिक–अप गाडी नम्बर आर. जे.32–जी–1372 में केरासीन तेल के 3 ड्रम भरकर कालाबाजारी हेतु लाये जाने की सूचना प्राप्त होने पुलिस जाप्ता के साथ पावटा से आगे बावडी पहुंचे। वहां मैन रोड पर खडे होकर इन्तजार करने के कुछ देर पश्चात एक पिक–अप गाडी नम्बर आर.जे.32–जी–1372 पावटा की तरफ से आती दिखाई देने पर पुलिस द्वारा गाडी को रोका गया। मौके पर गाडी की तलाशी लेने पर गाडी में 3 लोहे के ड्रम के नीले रंग के केरोसीन तेल से भरे मिले तथा साथ में एक सफेद रंग की प्लास्टिक की जरीकेन 20 लीटर की नीले रंग की केरासीन तेल से भरी मिली। गाडी में 33 बैग एपीएल आटे के रखे मिले। जिनको पुलिस थाना प्रागपुरा में लाया गया। थाना परिसर में गाडी में रखे 3 लोहे के ड्रमों के ढक्कन खोल कर ड्रमों में अंगूली देकर सूंधने पर उक्त तेल नीला तेल केरासीन होना पाया गया जो केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर देय है। तीनो ड्रमो में भरे तेल को नापने पर प्रत्येक ड्रम में 210 लीटर केरोसीन कुल 630 लीटर नीला केरोसीन पाया गया। सफेद रंग की प्लास्टिक जरिकेन में 20 लीटर नीले रंग केरोसीन तेल से भरी मिली। इस प्रकार नापने पर गाडी में रखे 3 ड्रमों एवं 1 प्लास्टिक जरिकेन में कुल 650 लीटर नीला केरोसीन पाया गया। इसके अतिरिक्त गाडी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले एपीएल आटे के 33 बैगे क्षमता 10 किलोग्राम प्रत्येक भी रखे मिले जिनका कुल वजन 330 किलोग्राम पाया गया जिन पर राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध गेहूं का शुद्व आटा, मैसर्स एसएसडी फूडस एण्ड पेपर्स प्रा.लि. बस्सी पैंकिग दिनांक 04.10.2010 व

जिला कलक्टर
जयपुर

बैच नम्बर 338 अंकित है। मौके पर उपस्थित ड्राईवर पिकअप से पूछताछ पर स्वयं का नाम शंकरलाल रैगर पुत्र श्री घूणाराम, जाति रैगर, निवासी लाडा का बास, ग्राम पंचायत खेलना, तहसील कोटपूतली का होना बताया तथा पिकअप भी स्वयं को होना अवगत कराया, किन्तु मौके पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये। पूछताछ पर बताया कि उक्त नीला रंग केरोसीन तेल व एपीएल आटा ग्राम फतेहपुरा खुर्द के डीलर श्री प्रहलाद यादव से ग्राम फतेहपुरा खुर्द से लाया है। नीला केरोसीन 5200 रूपये प्रति ड्रम व एपीएल आटा 100 रूपया प्रति बैग के हिसाब से खरीदना बताया। यह भी बताया की नीला रंग का केरोसीन तेल पिक–अप चलाने एवं आटा खाने हेतु लाया है। इस प्रकार शंकरलाल रेगर द्वारा नीला रंग केरासीन व एपीएल आटा खरीदकर व संग्रहण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं पीडीएस आर्डर 2001 तथा केरासीन (उपयोग एवं निर्बधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 तथा प्रहलाद यादव डीलर फतेहपुरा खुर्द द्वारा नीला रंग केरासीन तेल व एपीएल आटा की प्रथम दृष्टया कालाबाजारी करने पर उक्त वर्णित आदेशों की अवहेलना की है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर मिले नीले रंग केरोसीन तेल में से प्रत्यके ड्रम से 750 एम.एल के तीन प्रतिनिधि सैम्पल कांच की बोतलो में लिये गये जिन पर मार्का ए, बी, सी अंकित किया गया। सैम्पल लेने के पश्चात शेष रहे नीले रंग केरासीन तेल कुल 647.750 लीटर मय लोहे के 3 ड्रम 1 सफेद प्लास्टिक जरीकेन तथा 33 बैग एपीएल आटा वजन 330 किलोग्राम जब्त राज कर सुरक्षित रखने हेतु श्री रमेश चन्द स्वामी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत प्रागपुरा तहसील कोटपूतली की सुपुर्दगी में दिये गये। पिक–अप गाडी नम्बर आर.जे.32–जी–1372 जब्ज राज कर पुलिस थाना प्रागपुरा को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 358 दिनांक 22.10.2010 दर्ज करवाई गई। अतः जप्त नीला रंग केरासीन तेल 647.750 लीटर नीला केरोसीन तेल मय 3 लोहे के ड्रम व 1 सफेद रंग प्लास्टिक की जरीकेन 33 बैग एपीएल आटा वनज 330 किलोग्राम तथा 1 पिकअप को राजसात करने एवं नीला केरोसीन ज्वलनशील उडनशील एवं जनहित की वस्तु होने तथा जप्त आटा शीघ्र खराब होने की वस्तु एवं जनहित के उपयोग में आने वाली वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश करने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त केरोसीन ज्वलनशील व जनहित की वस्तु होने तथा आटा लम्बे समय में खराब होने की वस्तु व जनहित के काम में आने की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 03.11.2010 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि जब्त केरासीन एवं आटे का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री सुशील मल्होत्रा ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नहीं करने

पर जवाब बंद किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 21.10.2010 को पिक–अप गाडी नम्बर आर.जे.32–जी–1372 में केरासीन तेल के 3 ड्रम भरकर कालाबाजारी हेतु पावटा की तरफ से आती दिखाई देने पर तलाशी लेने पर गाडी में 3 लोहे के ड्रम के नीले रंग के केरोसीन तेल से भरे मिले तथा साथ में एक सफेद रंग की प्लास्टिक की जरीकेन 20 लीटर की नीले रंग की केरासीन तेल से भरी मिली। गाडी में 33 बैग एपीएल आटे के रखे मिले। जिनको पुलिस थाना प्रागपुरा में लाया गया। थाना परिसर में गाडी में रखे 3 लोहे के ड्रमों के ढक्कन खोल कर ड्रमों में अंगूली देकर सूंधने पर उक्त तेल नीला तेल केरासीन होना पाया गया जो केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर देय है। तीनो ड्रमो में भरे तेल को नापने पर प्रत्येक ड्रम में 210 लीटर केरोसीन कुल 630 लीटर नीला केरोसीन पाया गया। सफेद रंग की प्लास्टिक जरिकेन में 20 लीटर नीले रंग केरोसीन तेल से भरी मिली। इस प्रकार कुल 650 लीटर नीला केरोसीन पाया गया। इसके अतिरिक्त गाडी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले एपीएल आटे के 33 बैगे क्षमता 10 किलोग्राम प्रत्येक भी रखे मिले जिनका कुल वजन 330 किलोग्राम पाया गया जिन पर राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध गेहूं का शुद्व आटा, मैसर्स एसएसडी फूडस एण्ड पेपर्स प्रा.लि. बस्सी पैंकिग दिनांक 04.10.2010 व बैच नम्बर 338 अंकित है। मौके पर उपस्थित ड्राईवर पिक अप से पूछताछ पर स्वयं का नाम शंकरलाल रैगर पुत्र श्री घूणाराम, जाति रैगर, निवासी लाडा का बास, ग्राम पंचायत खेलना, तहसील कोटपूतली का होना बताया तथा पिक अप भी स्वयं को होना अवगत कराया किन्तु मौके पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये। पूछताछ पर बताया कि उक्त नीला रंग केरोसीन तेल व एपीएल आटा ग्राम फतेहपुरा खुर्द के डीलर श्री प्रहलाद यादव से ग्राम फतेहपुरा खुर्द से लाया है। नीला केरोसीन 5200 रूपये प्रति ड्रम व एपीएल आटा 100 रूपया प्रति बैग के हिसाब से खरीदना बताया। यह भी बताया की नीला रंग का केरोसीन तेल पिक–अप चलाने एवं आटा खाने हेतु लाया है। इस प्रकार शंकरलाल रेगर द्वारा नीला रंग केरासीन व एपीएल आटा खरीदकर व संग्रहण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं पीडीएस आर्डर 2001 तथा केरासीन (उपयोग एवं निर्बधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 तथा प्रहलाद यादव डीलर फतेहपुरा खुर्द द्वारा नीला रंग केरासीन तेल व एपीएल आटा की प्रथम दृष्टया कालाबाजारी करने पर उक्त वर्णित आदेशों की अवहेलना की है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्त नीला रंग केरासीन तेल 647.750 व एपीएल आटे के 33 बैग कुल वजन 330 किलोग्राम एवं पिकअप नम्बर आरजे–32–जी–1372 को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 21.10.2010 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. नीला केरोसीन एवं एपीएल आटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। मौके पर जब्त गाडी में तीन ड्रमो एवं सफेद रंग की प्लास्टिक जरिकेन में कुल 650 लीटर नीला केरोसीन पाया गया तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले एपीएल आटे के 33 बैग क्षमता 10 किलोग्राम प्रत्यके भी रखे मिले जिनका कुल वजन 330 किलोग्राम पाया गया है जिन पर राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध गेहूं का शुद्व आटा, मैसर्स एसएसडी फूडस एण्ड पेपर्स प्रा.लि. बस्सी पैंकिग दिनांक 04.10.2010 व बैच नम्बर 338 अंकित है। इससे अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विक्रय किये जाने वाले केरोसीनी एवं एपीएल आटे की कालाबाजारी किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण होने वाले नीले रंग के केरासीन एवं एपील आटा क्रय एवं संग्रहण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं पीडीएस आर्डर 2001 तथा केरोसीन (उपयोग एवं निर्बधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की अवहेलना की है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा नीला केरोसीन व एपीएल आटा को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 647.750 लीटर नीला केरोसीन व 23 बैग ऐपीएल आटा वजन 330 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त केरासीन व आटे के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 03.11.2010 को पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर